राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.3(ग)ए.सी.पी./85–III/अलेसे–II/17059-74 दिनांकः– 19.03.2013

कार्यालय आदेश संख्या ......318../2012–13

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11 (7) एफडी/रूल्स/2008/ दिनांक 12.09.08 एवं दिनांक 06.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ–14(88)एफडी(नियम) 2008–I दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में निम्नांकित लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर आपातकालीन परीक्षा 1985 उत्तीर्ण कर कार्यग्रहण किया था तथा जिन्होने 27 वर्ष एवं अधिक की राजकीय सेवा निरन्तर एवं संतोषजनक पूर्ण कर ली है को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का तृतीय ए.सी.पी. पी.बी.–2, 9300–34800 पे–बैण्ड एवं ग्रेड–पे 4800 स्वीकृत किया जाता है।

क्र. स.	नाम लेखाकार (सर्वश्री)	जन्मतिथि	प्रथम कार्यग्रहण तिथि	ए.सी.पी. स्वीकृति दिनांक	विशेष विवरण
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	बलवीर सिंह औला	17.02.1955	12.08.1985	12.08.2012	
2.	बाबूलाल	08.11.1954	12.08.1985	12.08.2012	
3.	किशोरी लाल	14.08.1954	17.08.1985	17.08.2012	
4.	पन्नालाल आचार्य	19.04.1953	12.08.1985	12.08.2012	
5.	रमेश कुमार कुक्कड	03.07.1953	16.08.1985	16.08.2012	
6.	रामगोपाल शर्मा	03.07.1955	12.08.1985	12.08.2012	
7.	सीताराम	07.01.1955	12.08.1985	12.08.2012	
8.	सुभाष चन्द्र शर्मा	29.09.1958	12.08.1985	12.08.2012	

उपरोक्त लेखाकारों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.14 (88) एफडी (नियम) 2008–I दिनांक 31.12.09 में दी हुई शर्तो के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त क्रम संख्या 4 से 7 पर अंकित लेखाकारों के वांछित वार्षिक कार्य–मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग के आदेश प.14 (88) वित्त/निंयम/08 दिनांक 27.07.12 द्वारा स्पष्टीकरण के आधार पर गत वर्षों की प्राप्त एपीएआर व संतोषजनक सेवा एवं प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर उक्त ए.सी.पी. इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन मे प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृति के बारे मे निर्णय लिया जाकर तदानुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ–14(88)एफडी(नियम) 2008–I दिनांक 31.12.2009 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित लेखाकारो की सेवापुस्तिका में की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित लेखाकार ए.सी.पी. स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में पे–ग्रेड 4200 में वेतन प्राप्त कर रहे है तथा ए.सी.पी. स्वीकृति तिथि को इनके विरूद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है। सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित लेखाकार को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर वेतन नियतन किये जाते समय 26 ए का लाभ नहीं दिया गया हैं।

निदेशक

क्रमांकः– एफ.3(ग)ए.सी.पी./85–III/अलेसे–II/17059-74 दिनांकः– 19.03.2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष...
2. श्री...लेखाकार, कार्यालय...
3. निजी सहायक निदेशक महोदया।
4. निजी पत्रावली मूल आवेदन सहित/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग(वेबसाईट हेतु)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक– I)

F:\Teekam Office Work\NEW 2012\S.M. Gupta Ji\ACP Order.doc